बिहार में 36 हजार करोड़ निवेश की प्रक्रिया शुरू

उद्योग मंत्री ने कहा- 236 कंपनियां कर रहीं निवेश, बक्सर और बेतिया में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनने से निर्यात बढ़ेगा

उद्योग विभाग

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार को उद्योग प्रोत्साहन के लिए बनी नीति का लाभ मिल रहा है। पिछले साल दिसंबर में 278 कंपनियों ने 50 हजार 530 करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किया था।

इनमें से 236 कंपनियों द्वारा 36 हजार करोड़ रुपये के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। इन्हें जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। सोमवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में उद्योग मंत्री ने बताया कि बिहार में अडानी, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ब्रिटानिया, न्यूजींल, एसएलएमजी, टाइगर एनालिटिक्स, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है। बांका और भागलपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर बनेगा। राज्य में 85 इंडस्ट्रियल एरिया और नौ क्लस्टर हैं। सात जिलों अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में उद्योग के लिए भूमि बैंक नहीं हैं। इन जिलों में भी बियाडा के तहत जमीन उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 24 लाख वर्गफुट में प्लग एंड शेड का निर्माण कराया गया है। इनमें 15.50 लाख वर्गफुट का आवंटन हो चुका है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि गया में 1670 एकड़ भूमि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। यह बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इसमें 28 हजार करोड़ का निवेश होगा। 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। बक्सर के नवानगर और बेतिया के कुमारबाग में 125 एकड़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के निर्माण से बिहार से होने वाले निर्यात में वृद्धि होगी। बिहटा में 53 करोड़ से निर्मित इरेडिएशन सेंटर कम पैकहाउस से बिहार के खास उत्पादों की गुणवत्ता और निर्यात में वृद्धि होगी। मुजफ्फरपुर महवल में 62 एकड़ में 940 करोड़ की लागत से चमड़ा उत्पाद पार्क का निर्माण हो रहा है। यहां बेल्ट, जूता, पर्स आदि के उद्योग लगेंगे। अभी मखाना जैसे उत्पाद दूसरे राज्यों से निर्यात होने के कारण यह उनके खाते में चला जाता है। निर्यात की सुविधा होने से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सभी 101 अनुमंडलों में उद्यमिता विकास केंद्र होंगे। उद्यम के लिए इसमें प्रशिक्षण और सहायता मिलेगी।

एक जिला एक उत्पाद का प्रखंड स्तर पर होगा विस्तार : उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद का दायरा बढ़ेगा। इसे प्रखंड स्तर पर ले जाने की तैयारी है। हर प्रखंड का अपना खास उत्पाद है। इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी। उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलेगा।

उद्यमी योजना के लाभुकों को 2696 करोड़ मिले: उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 34 हजार 441 लाभार्थियों को 2696 करोड़ की सहायता दी गई है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत दो-दो लाख की सहायता के लिए 40102 लाभुकों का चयन किया गया है। इन्हें प्रथम किस्त के तहत 200 करोड़ की राशि दी गई है। मौके पर उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष, खाद्य प्रसंस्करण निदेशक रविप्रकाश और बियाडा प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार मौजूद थे।

सूचना भवन में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बोलते सूबे के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। मौके पर सचिव बंदना प्रेयषी, आलोक रंजन घोष और कुंदन कुमार भी मौजूद रहे।

आगे की कार्ययोजना

- भारत के कुल निर्यात में बिहार की भागीदारी 0.52 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करनी
- इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया की तरह नए औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टर का विकास
- विनिर्माण क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 17 फीसदी योगदान को 27 फीसदी ले जाना
- बिहार को पूर्वी भारत में निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बनाने की योजना पर काम होगा
- कौशल विकास के तहत उद्योगों की मांग के अनुसार रोजगार क्षमता में सुधार किया जाएगा

07 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की जमीन नहीं, बांका-भागलपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर होगा

278 कंपनियों ने 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश का समझौता किया था

मुम्बई में निवेशक सम्मेलन 13 सितंबर को, पीयूष गोयल रहेंगे

उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने कहा कि 13 सितंबर को मुम्बई में बिहार इन्वेस्टर्स (निवेशक) समिट आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विभिन्न सेक्टर के उद्योगपति और निवेशकों को इसमें आमंत्रित किया गया है। निवेशकों को बताया जाएगा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। निवेशकों को बिहार में निवेश करने की अपील की जाएगी।

कैंसर का इलाज कराना होगा सस्ता

जीएसटी काउंसिल ने स्तन, फेफड़े ,गाल ब्लैडर व पित्ताशय रोग की दवाओं पर टैक्स घटाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आने वाले समय में कैंसर का इलाज कराना सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की तीन दवाओं ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब पर टैक्स की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। ये दवाएं स्तन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर और गाल ब्लैडर व पित्ताशय से संबंधित कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा नमकीन पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को 12 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ कार की सीट पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया। मोटरसाइकिल की सीट पर पहले से ही 28 प्रतिशत जीएसटी है।

जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब सरकारी या निजी विश्वविद्यालय को सरकार या निजी संस्थान से मिलने वाले किसी भी प्रकार के रिसर्च फंड पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब तक अगर निजी विश्वविद्यालय को निजी संस्थान से रिसर्च के लिए फंड या राशि मिलती थी तो उस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता था। सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निजी तौर पर कहने पर उन्होंने काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा और बंगाल की वित्त मंत्री ने सबसे पहले उनके प्रस्ताव का समर्थन किया और फिर सबने इस पर अपनी सहमति दी।

आनलाइन गेमिंग पर जीएसटी राहत की संभावना खत्म : वित्त मंत्री ने बताया कि आनलाइन गेमिंग पर पिछले साल अक्टूबर में 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के दौरान यह कहा गया था कि छह माह के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा रिपोर्ट में यह पाया गया कि आनलाइन गेमिंग के राजस्व में पिछले छह महीनों में 412 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर से पहले के छह महीनों में प्राप्त राजस्व से इसकी तुलना की गई है। अक्टूबर से पहले के छह महीनों में आनलाइन गेमिंग कंपनियों को 1349 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ था जबकि पिछले साल अक्टूबर के बाद के छह महीनों में इन कंपनियों को 6909 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। आनलाइन गेमिंग कंपनियां सरकार से 28 प्रतिशत जीएसटी को खत्म करने की मांग कर रही हैं, लेकिन राजस्व में इतनी बढ़ोतरी के बाद यह संभावना बिल्कुल समाप्त हो गई।

हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला अब नवंबर में पेज>>10

नमकीन पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को 12 प्रतिशत किया गया

विश्वविद्यालयों को मिलने वाले रिसर्च फंड पर नहीं लगेगा कोई टैक्स

कार की सीट पर लगने वाले जीएसटी को 18 से 28 प्रतिशत किया गया

नई दिल्ली में सोमवार को सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक के दौरान अभिवादन करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एएनआइ

बी2सी को ई-बिल देने का शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

काउंसिल की बैठक में पायलट आधार पर बिजनेस टू कंज्यूमर को ई-बिल देने की शुरुआत करने का भी फैसला किया गया। अभी कुछ आइटम और कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत होगी। इससे खुदरा व्यापारियों को या किसी उपभोक्ता को भी जीएसटी रिटर्न लेने में आसानी होगी। हेलिकाप्टर में सीट शेयरिंग पर पहले की तरह पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकाप्टर सेवाओं पर कर 18 से घटाकर पांच प्रतिशत किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकाप्टर सेवाओं के परिचालन पर कर को 18 से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। हालांकि यह सुविधा उन यात्रियों को ही मिलेगी जो सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकाप्टर सुविधा का उपभोग करते हैं। चार्टर हेलीकाप्टर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगा।

बड़ा आयोजन

25 से 30 नवंबर के बीच दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह, इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की भी आधिकारिक शुरुआत होगी

वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की पहली बार मेजबानी करेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आइसीए) के सम्मेलन एवं महासभा का आयोजन होने जा रहा है। यह दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 30 नवंबर के बीच होगा। यह वैश्विक स्तर पर सहकारिता का शीर्ष संगठन है, जिसके 130 वर्ष के इतिहास में भारत को पहली बार मेजबानी का मौका मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के निर्देश के अनुसार, इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की भी आधिकारिक शुरुआत होगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन की भरपाई के लिए 10 हजार पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।

इफको के सौजन्य से प्रस्तावित इस कार्यक्रम का विषय होगा

प्रतीकात्मक

'सहकारिता : सबकी समृद्धि का द्वार'। आइसीए के महानिदेशक जेरोन डगलस, सहकारिता सचिव डा. आशीष कुमार भुटानी एवं इफको के प्रबंध निदेशक डा. उदय शंकर अवस्थी ने सोमवार को संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि हमारा उद्देश्य सहकारिता आंदोलन के जरिये उद्यमशीलता को बढ़ाकर सबके द्वार तक समृद्धि को पहुंचाना है। कार्यक्रम के आयोजन से भारत में विदेशी सहकारिता व्यापार का विकास होगा। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद अध्यक्ष, आइसीए के अध्यक्ष एवं सदस्य, भारतीय सहकारिता आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के साथ सौ से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी देते हुए सहकारिता सचिव ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद देश में सहकारी आंदोलन के सशक्तीकरण के लिए 54 नई पहल की गई है। ये सहकारी क्षेत्र के विकास में मील के पत्थर साबित होंगे। पैक्सों के कंप्यूटरीकरण एवं नए क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन से भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ने लगा है। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में इफको के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक सम्मेलन की थीम में भारतीय गांव होंगे। इसका उपयोग सहकारी उत्पादों को बाजार की तरह प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा।

किसानों के लिए होगी आधार जैसी आइडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कृषि योजनाओं को आसानी से आम किसानों तक पहुंचाने के लिए आधार जैसा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार देश भर के किसानों का पंजीकरण करेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की यह योजना 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है। यह जानकारी सोमवार को कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने आउटलुक-एग्रीटेक समिट एवं स्वराज अवाड्र्स के दौरान दी। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के सहयोग से किया गया। योजना के तहत अगले वर्ष मार्च तक पांच करोड़ किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विशेष पहचान पत्र के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के लिए आवेदन करते समय सत्यापन की जटिलता को कम करने में भी मदद मिलेगी। योजना में शामिल होने के लिए 19 राज्यों ने सहमति दे दी है। इसके लिए महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में पहले ही एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है। यह नया पंजीकरण विभिन्न कृषि योजनाओं तक किसानों की पहुंच को आसान बनाएगा। साथ ही सरकारी योजनाओं को अत्यधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने में मदद करेगा। किसानों के लिए एक एआइ आधारित चैटबाक्स जैसी तकनीक भी विकसित की जा रही है।

भारत-यूएई ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने को किए चार समझौते

पीएम नरेन्द्र मोदी और अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता

दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने पर बनी सहमति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अहमियत पहले के मुकाबले अब और बढ़ जाएगी। तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए यूएई के सात राज्यों (अमीरात) में से एक अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और पीएम नरेन्द्र मोदी के बीच सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े चार अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत न सिर्फ यूएई के साथ भारत को दीर्घकालिक अवधि के लिए एलएनजी आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि दोनों के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए भी समझौता हुआ है। रणनीतिक उद्देश्य से पेट्रोलियम भंडार बनाने और अबूधाबी की कंपनियों के बीच सहमति बनी है। भारत में खाद्य उत्पादों का पार्क बनाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों के बीच समझौता हुआ है, जो भविष्य में यूएई की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा।

नई दिल्ली में सोमवार को अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

पीएम मोदी के साथ क्राउन प्रिंस की भेंट में मुख्य तौर पर ऊर्जा और कारोबारी सहयोग का मुद्दा केंद्र में रहा। वार्ता में क्षेत्रीय समस्याओं और गाजा की स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। क्राउन प्रिंस के साथ अधिकारियों व उद्योगपतियों का एक बड़ा दल भी आया है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और यूएई ने यह दिखाया है कि महिलाओं की अगुआई में विकास ज्यादा प्रभावी परिणाम दे सकता है।

दादा, पिता के बाद बेटे ने किया पौधरोपण

अबूधाबी के क्राउन प्रिंस ने सोमवार को महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। उन्होंने यहां अमलतास का पौधरोपण भी किया। बता दें कि 1992 में क्राउन प्रिंस के दादा शेख जायद बिन सुल्तान अह नाहयान और 2016 में उनके पिता व यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद राष्ट्रपिता की समाधि पर गए थे। बापू के समाधि स्थल पर पहली बार किसी देश की तीन पीढ़ियों के नेताओं की तरफ से लगाए गए पौधे देखे जा सकेंगे।

नई दिल्ली में सोमवार को राजघाट में पौधरोपण करते अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। एएनआइ

दोनों देशों में ये महत्वपूर्ण समझौते

दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता यूएई में भारत की दो सरकारी कंपनियों इंडियन आयल (आइओसी) और भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) के संयुक्त उद्यम को अबूधाबी के एक तेल ब्लाक के लिए उत्पादन को मंजूरी देने से जुड़ा हुआ है। यह पहला मौका होगा जब किसी भारतीय कंपनी को यूएई के ऊर्जा ब्लाक में सीधे उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी।

15 वर्ष के लिए एलएनजी समझौता आइओसी व गेल और अबूधाबी की कंपनी एडीएनओसी के बीच हुआ है। इससे भारत को सालाना 10 लाख मैट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

सबसे अहम समझौता न्यूक्लिकर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कार्पोरेशन के बीच हुआ है। पहली बार भारत खाड़ी के किसी देश के साथ परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर काम करेगा।

शिवेश प्रताप
तकनीकी प्रबंधन
सलाहकार

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

तकनीक आधारित नई कृषि क्रांति की तैयारी

केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में मिशन मोड में सात बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें 14 हजार करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के लिए कृषि आधारित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना। इसके अंतर्गत किसानों को एक विशेष आइडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन योजनाओं का विशेष ध्यान शोध और नवाचार, जलवायु परिवर्तन अनुकूल (क्लाइमेट रेसिलिएंट), प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर होगा। इससे देश में एक नई कृषि क्रांति की उम्मीद जगी है

खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कमर कस रही है केंद्र सरकार। प्रतीकात्मक

देश में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 15 प्रतिशत है, लेकिन भारत में आज भी 65 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार की महत्वपूर्ण चिंता यही है कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन से देश की 65 प्रतिशत आबादी पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का मुख्य उद्देश्य किसानों की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के अनुकूल (क्लाइमेट रेसिलिएंट) के लिए तैयार करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन विश्व की एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत में क्लाइमेट इमरजेंसी जैसी स्थितियां दिखने लगी हैं। बदले मौसम से फसल कैसे बचाएंगे, यह सीखना जरूरी हो गया है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से सरकार किसान की बेहतर ढंग से मदद कर सकेगी।

कृषि कल्याण की सात नई योजनाएं : पहली योजना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और इसके लिए 2817 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों के जीवन को डिजिटल तकनीक के माध्यम से आसान बनाना है। दूसरा, क्राप साइंस फार फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है जिसके तहत 3979 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है, जो कृषि विज्ञान और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। तीसरा है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट जिसके लिए 2300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कृषि शिक्षा और सामाजिक विज्ञान में मजबूती आएगी। चौथी योजना है, सस्टेनेबल लाइवस्टाक हेल्थ एंड प्रोडक्शन जिसमें 1702 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसके द्वारा कृषि क्षेत्र में पशुधन और उनके उत्पादों के गुणवत्ता एवं उत्पाद को बढ़ावा देने की बात की गई है। पांचवी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आफ हार्टिकल्चर और इसके तहत 860 करोड़ रुपये की फंडिंग की गई है जो बागवानी क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने हेतु सहयोग करेगा। छठी योजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों को अधिक मजबूत करने के लिए 1202 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सातवीं है, नैचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जिसके लिए 1115 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन : डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके तहत सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ) का निर्माण करना चाहती है। यह डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कृषि क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा, जिसमें किसानों को विभिन्न सुविधाएं डिजिटल रूप से प्राप्त होंगी। आधार की तरह ही हर किसान को एक 'फार्मर आइडी' दी जाएगी, जिसमें उसकी भूमि, फसल और स्कीम्स का विवरण होगा। यह डेटा देश भर में लागू किया जाएगा और इसे अगले कुछ वर्षों में पूरा करने की योजना है। इस मिशन पर 2817 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 1940 करोड़ रुपये वहन करेगी और शेष राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इसका हिस्सा होंगे। इस मिशन के अंतर्गत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उद्देश्य यह है कि सभी किसान इससे लाभान्वित हों। अगले दो वर्षों में (2025-26) यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। इससे किसानों की उत्पादकता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा।

इस मिशन को लाने की योजना सरकार ने 2021-22 में ही बनाई थी, लेकिन कोविड के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री ने इस मिशन को पुनः शुरू करने की घोषणा की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआइ) का निर्माण करना है, जिसमें सभी किसानों की जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप से संगृहीत किया जाएगा। इसका सबसे प्रमुख कंपोनेंट एग्री स्टैक है, जो तीन हिस्सों में विभाजित है :

1. **किसान रजिस्ट्री** : इसके तहत आधार की तरह ही हर किसान को एक डिजिटल पहचान यानी किसान आइडी दी जाएगी। इसमें किसान की जमीन, उसका पशुधन, कौन-कौन सी फसलें वह उगाता है और कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ उसने उठाया है जैसी जानकारी शामिल होगी। इस प्रणाली के तहत अब तक छह जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद और गुजरात का गांधीनगर शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024-25 तक छह करोड़ किसानों की डिजिटल आइडी बन जाए और 2026-27 तक यह संख्या 11 करोड़ तक पहुंच जाए। इसके लिए पांच हजार करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा चुका है।

2. **फसल बोआई रजिस्ट्री** : यह किसानों की फसलों का डेटाबेस तैयार करने के लिए हर सीजन में मोबाइल आधारित सर्वेक्षण करेगा। यह सर्वेक्षण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 राज्यों में हो चुका है और अगले दो वर्षों में 400 जिलों को कवर करने का लक्ष्य है। वर्ष 2025-26 तक संपूर्ण भारत में इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. **जियो रेफरेंस रूरल मैप** : यह योजना भूमि के भौगोलिक डेटा को फिजिकल लोकेशन से जोड़ने का काम करेगी, ताकि किसानों की जमीन और उसकी स्थिति को लेकर सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके।

कृषि निर्णय महायता तंत्र : इसके तहत भौगोलिक सटीकता का एक विशेष सिस्टम बनाया जाएगा और इसमें भूमि अभिलेख, फसल की जानकारी, मिट्टी की जानकारी, मौसम की जानकारी और जल संसाधनों का विवरण एकत्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि सरकार को देश भर में विभिन्न फसलों की जानकारी मिल सके और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। इससे किसानों को इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। सोइल प्रोफाइल मैप के तहत देश भर में मिट्टी की गुणवत्ता का विस्तृत सर्वे किया जाएगा। इसके तहत 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें से 2.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है।

इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है डिजिटल जनरल क्राप एस्टिमेशन सर्वे, जिसके माध्यम से यह अनुमान लगाया जाएगा कि देश में कितना अनाज उत्पादन हो रहा है। इससे सरकार को सटीक जानकारी मिलेगी और वह उचित योजनाएं बना सकेगी। यह मिशन कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत किसानों की पहचान, उनकी फसलें, भूमि और अन्य जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित की जाएगी। यह मिशन किसानों की आय को बढ़ाने के साथ ही उन्हें जलवायु परिवर्तन और अन्य चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा।

कृषि सुधार की दिशा में समग्र प्रभावी प्रयास

केंद्र सरकार तात्कालिक कृषि लक्ष्यों के साथ भारतीय कृषि को अगले 100 वर्षों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। एनआइसीआरए भारत सरकार की एक परियोजना है जो कृषि में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्य करती है। इसके चार घटक हैं जो इन पैरामीटर पर आधारित हैं- अनुसंधान, तकनीकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्धा प्रायोजित अनुसंधान। संस्था कई वर्षों के स्थानीय जलवायु परिवर्तनों का सिमुलेशन और इसके जलवायु परिवर्तनों को अवशोषित करने की क्षमता का आकलन करते हैं। इन सिमुलेशन को तीन समयावधियों में विभाजित करते हैं। पहला, नियर सेंचुरी यानी 2030 तक के बदलाव की देखता है। दूसरा, मिड सेंचुरी जो 2050 तक के जलवायु परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करता है और एंड सेंचुरी 2100 तक होने वाले बदलाव पर केंद्रित है। संस्था फसल की उपज में बदलाव और कृषि परंपराओं या प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेपों को देखती है।

भारत के अब तक लगभग 650 कृषि जिलों की पहचान की गई है और प्रत्येक जिले की रिस्क प्रोफाइल का मूल्यांकन करने के लिए 33 पैरामीटर्स पर ध्यान देने के साथ ही उन्हें उच्चतम से न्यूनतम रिस्क की रैंकिंग में विभाजित किया गया है। सड़क संपर्क, कर्ज सुविधाएं, सिंचाई अवसंरचना, स्थानीय जलवायु और किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे पैरामीटर्स का उपयोग किया जा रहा है। अगले कुछ दशकों के लिए जलवायु पूर्वानुमान की समीक्षा करके भी उनके रिस्क प्रोफाइल का मूल्यांकन किया जाने लगेगा। यह पाया गया कि भारत के 310 जिले जलवायु परिवर्तन से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने के हाई रिस्क में हैं। व्यावसायिकता के आधार पर इन जिलों के 151 गांवों में एक तकनीकी प्रदर्शन परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है।

केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय : भारत में कृषि राज्य का विषय है और आइसीएआर एक केंद्रीय-निधि प्राप्त संस्थान है। केंद्रीय संस्थाएं अनुसंधान करती हैं और प्रौद्योगिकियों का विकास करते हैं, लेकिन कार्यान्वयन केंद्र के नियंत्रण से बाहर होता है। इस मामले में हम केवल आंशिक निगरानी कर सकते हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से होती है। भारत ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की आवश्यकता को अपेक्षाकृत देर से समझा। हालांकि हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में प्रगति कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एनएमएसए) लाभकारी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। परंतु अभी भी भारत को कृषि-प्रधान विकासशील देशों जैसे ब्राजील और चीन के समान शोध एवं विकास निवेश स्तर तक पहुंचने के और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अलावा, जलवायु-प्रतिरोधी कृषि कार्यों को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें नीति निर्माण में संतुलन की जरूरत है, जो संक्षिप्त और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। साथ ही, सभी राज्यों को और कृषि संस्थाओं को विश्वास में लेते हुए नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहिए। (शिवेश प्रताप)

खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की मोदी सरकार की नई पहल

जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ की पहली बैठक

कहा- गाजा की मौजूदा स्थिति चिंता का कारण, भारत संघर्ष विराम का समर्थक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को लेकर पहले से ही काफी गंभीर कोशिश करने वाली मोदी सरकार ने इस दिशा में एक नई पहल की है। अब हर वर्ष खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के विदेश मंत्रियों के साथ भारतीय विदेश मंत्री की बैठक होगी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की दिशा देने पर अहम फैसले होंगे। सोमवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर की जीसीसी के सदस्य छह देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेश मंत्रियों के साथ पहली बैठक हुई। पहले इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर की अलग-अलग बैठक हुई। फिर भारत-जीसीसी रणनीतिक वार्ता के तहत चर्चा हुई। इस तरह की बैठक भारत आसियान के सदस्य देशों के साथ करता रहा है।

रियाद में सोमवार को खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ पहली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

जयशंकर ने कहा कि आज की बैठक सिर्फ हमारे रिश्तों की सफलताओं को बताने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के दूरगामी लक्ष्यों व अवसरों का खाका तैयार करने का मौका भी है। जीसीसी के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते अब अर्थ, ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तारित हो रहा है। विदेश मंत्री ने गाजा और फलस्तीन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, 'गाजा की मौजूदा स्थिति हमारे लिए बहुत ही चिंता का कारण है। भारत का इस मुद्दे पर हमेशा से सैद्धांतिक रुख रहा है। भारत आतंकवाद और बंधक बनाने की निंदा करता है, लेकिन लड़ाई में निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का हमें बहुत गहरा दुख है। हम वहां जल्द से जल्द संघर्ष विराम का समर्थन करते हैं।' फलस्तीन के बारे में जयशंकर ने कहा कि भारत इसको लेकर हमेशा दो राज्यों के सिद्धांत का पक्षधर रहा है।

जीसीसी देशों में 90 लाख भारतीय

जीसीसी के देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं और हर वर्ष भारत को 40 अरब डालर की विदेशी मुद्रा भेजते हैं। यह राशि भारत की इकोनमी के लिए बहुत अहम है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इन देशों से खरीदता है। भारत के उत्पादों व खाद्य उत्पादों के लिए ये देश बहुत बड़ा बाजार भी हैं। इस कारण भारत इस क्षेत्र में हमेशा शांति की वकालत करता है।

रूसी विदेश मंत्री से भी मुलाकात

जयशंकर ने जीसीसी से इतर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। दोनों में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात ऐसे समय हुई, जब कुछ दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के संबंध में भारत का नाम उन तीन देशों में शामिल किया था, जिनसे वह लगातार संपर्क में हैं।

Stronger bilateral ties on Modi, MBZ agenda

Agencies
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi held a meeting with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan at Hyderabad House in Delhi on Monday.

Ministry of external affairs official spokesperson Randhir Jaiswal stated that the two leaders will hold discussions on entire spectrum of ties between India and UAE.

Union Minister of Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, Union Minister of Commerce and Industry, Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval and other officials were present in the meeting.

Taking to X, Randhir Jaiswal stated, "A warm welcome for a close friend. PM @narendramodi received HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi at Hyderabad House. Discussions on entire spectrum of India - UAE bilateral relations and future areas of cooperation lie ahead."

PM Modi welcomed Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan and the two leaders greeted each other with a warm hug. The two leaders shook hands and interacted with each other before proceeding to hold a meeting.

Sheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan arrived in New Delhi on September 8 on his first official visit to India, the ministry of external affairs said.Union minister of commerce and industry, Piyush Goyal, received the Crown Prince upon his arrival. He was also accorded a ceremonial welcome after he landed in the national capital.

"A new milestone in a historic relationship. His Highness Sheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan arrived in Delhi on his first official visit to India. Warmly received by @CimGOI @piyushgoyal and accorded a ceremonial welcome," Randhir Jaiswal posted on X.

The Crown Prince is on an official India visit from September 9-10 at the invitation of PM Modi.

During his visit to India, he is scheduled to call on President Droupadi Murmu. He will also visit Rajghat to pay tribute to Mahatma Gandhi. On September 10, the Abu Dhabi Crown Prince will visit Mumbai to participate in a Business Forum, in which business leaders from both countries will participate.

"India and UAE share historically close and friendly ties. In recent years, the Comprehensive Strategic Partnership between India and UAE has deepened in a wide range of areas, including political, trade, investment, connectivity, energy, technology, education, and culture," the ministry of external affairs (MEA) stated in a press release.

"The Crown Prince's visit will further reinforce strong India-UAE bilateral relations and open

continued on →7

'Investments worth ₹36,000 crore taking shape in Bihar'

Subhash Pathak

subhash.pathak@htlive.com

PATNA: Bihar industries department has processed allotment of land for investors to set up their businesses worth ₹36,000 crore after they completed the formalities, industries minister Nitish Mishra said here on Monday.

Talking to media persons, Mishra said these were the investors who had evinced interest to set up their plants and operations and pledged investments to the tune of ₹50,530 crore in the last few months at different investors' meets held in India and abroad.

"The department has organised investors' meets in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai (in India) and Dubai and San Francisco. In 2023, the government had organised a mega investors' meeting, Bihar Business Connect, in which over 600 entrepreneurs from across 16 countries had participated. Out of them, as many as 278 investors had signed the memorandum of understanding (MoU) with the department," said the minister.

Industry minister Nitish Mishra addresses a press conference in Patna Monday. SANTOSH KUMAR/HT

Mishra said Bihar has of late emerged as a favourite destination for investors. "The government has unveiled investor-friendly policy to support start-ups, development of logistics parks, setting up of leather and textile units and providing facilities for export of local goods," he said, adding that many renowned industrial houses like Adani, Britania, HCL and Tiger Analytics have set up their businesses in the state.

MISHRA SAID BIHAR HAS OF LATE EMERGED AS A FAVOURITE DESTINATION FOR INVESTORS

Industries secretary Bandana Preyashi said the department was building a mega food park on 144 acres of land at Motipur in Muzaffarpur district at a cost of ₹180 crore, an irradiation centre at Bihta at a cost of ₹53 crore, integrated export and packing house at Bihta at the cost of ₹9 crore, leather park on 64 acres of land at Mahwal in Muzaffarpur and leather cluster on 34 acres of land in Kishanganj.

Leverage historical ties for new areas of cooperation

Recent years have witnessed a range of watershed moments in the United Arab Emirates (UAE)-India bilateral relationship. Across all facets of the partnership, we have experienced not only growth and renewal but also a deepening of the historical bonds of friendship and cooperation we have long shared.

The official visit to India of Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi, this week is a testament to the strength and continuous enhancement of the relationship and attests to the importance the UAE places upon its strategic partnership with India. The occasion of this visit also provides an opportunity to reflect upon the transformative impact our ties have had, and will continue to have in the years to come.

Abdulnasser Alshaali

From growing strategic alignment to the UAE's emergence as India's second-largest export destination, third-largest trading partner, and fourth-largest investor, political, economic, and cultural ties between the UAE and India have never been as strong as they are today.

Fundamental to the continued expansion of our strategic partnership is the recognition of both governments that it is essential that our societies are able to obtain tangible benefits from the strong strategic foundations we have built. Across all areas of our relationship, Emiratis and Indians, on a daily basis, are reaping the rewards of the closer economic integration, cultural inclusivity, and political understanding we have consistently sought to foster.

These dynamics can be discerned in the positive impacts of the UAE-India Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Since the CEPA's implementation on May 1, 2022, the UAE and India have witnessed both a qualitative and quantitative shift in our strategic relationship.

In two years alone, total trade between our two countries has increased by nearly 15%, with the UAE's exports to India expanding by over 7% and Indian exports to the UAE rising by an impressive 27%. Significantly, the CEPA has contributed to a rapid change in the composition of our trade. We are witnessing a decreased reliance on hydrocarbons as the key commodity, which has traditionally shaped trade ties. In fact, total non-oil trade between the UAE and India registered a 20% increase in 2023-24. This is a considerable achievement and underscores the direct benefits of the CEPA to the UAE's and India's vital non-oil economic sectors.

I have been fortunate to observe the progressive and constructive effects of this agreement first-hand through the UAE-India CEPA Council — a platform that has been specifically designed to promote grassroots-level engagement and open dialogue between the governments and businesses of our two countries. Direct interactions with businesses across the length and breadth of India, including green mobility manufacturers in Andhra Pradesh, organic farmers in West Bengal, and biotechnology entrepreneurs in Maharashtra, have underscored that India's diversity is fundamental to its economic prosperity and future growth. It is this societal dynamism and cultural diversity that will be crucial in pushing the boundaries of possibilities beyond the CEPA into all other facets of our ties.

In nurturing these strengths to the mutual benefit of both countries, the UAE remains dedicated to the continued building of inclusive partnerships with India that stretch far beyond the critical power centres of New Delhi and Mumbai, to emerging cities such as Vijayawada, Bhubaneswar, Patna, and Jaipur. Not only that, we also wish to energise the development of new initiatives, such as the UAE-India Cultural Council, which will bring greater awareness to our shared historical bonds and rich cultural tapestries. We seek to further develop platforms like the UAE-India Start-up Bridge to ensure the entrepreneurial spirit of our two peoples is fully unlocked. And finally, we are committed to embracing a visionary approach to fields such as aviation, where we believe there is no limit to the benefits that can be achieved through the provision of greater connectivity and improved choice for our increasingly agile and internationally mobile societies.

The outlook for UAE-India bilateral ties is bright, with numerous opportunities for collaboration across various sectors. As both nations look to establish new avenues for cooperation in our partnership, fertile ground exists to further leverage our complementary economic strengths and shared cultural values to build a resilient, inclusive, and prosperous future together.

Abdulnasser Alshaali is the ambassador of the United Arab Emirates to India.
The views expressed are personal

New shipbuilding scheme expected only after 2026

The move aligns with the government's plans to develop India's blue economy

Subhash Narayan & Rhik Kundu

subhash.narayan@livemint.com

The new scheme will come with expanded incentives for 10 years. HT

NEW DELHI: The Ship Building Financial Assistance Policy that lapses in 2026 is expected to be replaced with a new scheme with expanded incentives for 10 years, two people aware of the matter said.

The move aligns with the Union government's plans to develop India's blue economy, or the sustainable use of ocean resources, and positioning the country as a ship manufacturing hub.

"The SBFAP, which lapses in 2026, is expected to be replaced by SBFAP 2.0 after 2026, which will have expanded incentives and give impetus to the development of the sector," one of them said, speaking on condition of anonymity.

"The ministry of ports, shipping and waterways, and the ministry of commerce (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) are working on schemes to incentivise ship manufacturing in the country, including raising the extent of financial support extended under the Ship Building Financial Assistance Policy," this person added.

Currently, under the SBFAP, financial assistance is provided to Indian shipyards for shipbuilding contracts signed between 1 April 2016 and 31 March 2026. But the financial assistance has dropped to 11% from 20% in 2016. "There is a proposal to increase financial assistance, especially for green vessels," the person quoted above said.

As per the ministry of ports, shipping and waterways, under SBFAP, a total of 313 domestic and export vessel orders were procured by 39 shipyards since the inception of the scheme, with the total value standing at about ₹10,500 crore. These shipyards have received financial assistance amounting to ₹337 crore for delivering 135 vessels to domestic and international ship owners.

A ₹5,000 crore package is also being worked through a new viability gap funding scheme to incentivise the construction of inland vessels, with a plan to extend the support to entities manufacturing seabound vessels, including cruise ships, later.

Spokespersons of the ministries of commerce, and ports didn't immediately respond to queries.

Promoting domestic shipbuilding will help the government achieve its target of reaching 5% of the global market share in shipbuilding, said experts. "Presently, we have less than 1% of global tonnage, and it is not enough to achieve the targeted economic growth and development of the nation," said Pushpank Kaushik, chief executive of Jassper Shipping.

Domestic shipbuilding will not only support Indian ship owners but will also become an alternate shipbuilding destination away from Vietnam, Korea, Japan and China, he added.

"Recognising the need to fast-forward the growth agenda for shipbuilding and ship repair industry in India, government of India plans to come up with a new shipbuilding and ship repair policy," said Mihir Shah, partner, transport and logistics, EY India.

Regulatory reform stuck in a loop in Health Ministry

Dinesh S. Thakur

the co-author of 'The Truth Pill: The Myth of Drug Regulation in India' (2022)

Prashant Reddy T.

the co-author of 'The Truth Pill: The Myth of Drug Regulation in India' (2022)

Earlier this year, the Drugs Controller General of India (DCGI), working under the direct control of the Ministry of Health and Family Welfare, announced policy initiatives on three issues: recall guidelines, guidelines on good distribution practices and the use of similar brand-names by pharmaceutical companies for their drugs.

All three measures have a direct impact on public health. Recall guidelines are meant to swiftly remove drugs that fail testing in government laboratories from the market. The guidelines on good distribution practices are meant to regulate how drugs are stored and distributed during transit and sale. The measure against confusing brand names is aimed at preventing prescription errors, wherein wrong drugs are dispensed to patients causing them harm.

Unfortunately, these measures either lack the force of law or are poorly thought through. For over a decade, we have seen this old wine of vague guidelines and cautionary letters sold to us in a new bottle, disguised as concrete measures of reform.

The 59th report of the PSC

A good starting point for this discussion is the 59th report of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Health & Family Welfare (PSC) which was tabled in 2012. In this report, which focused on how the national drug regulator, the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) functions, the PSC raised a host of issues including the lack of recall guidelines, the lack of standards for storage of drugs and the problem of confusing brand drug names.

These issues were flagged decades before the PSC examined them in its 59th report. The lack of recall guidelines was flagged during a meeting of the Drugs Consultative Committee (DCC) back in 1976 when State drug controllers realised that drugs ordered to be withdrawn in one State due to quality concerns were being sold in a neighbouring state. The lack of proper standards for storage of drugs, especially during transportation, was flagged by the Supreme Court of India in 1974, in *Swantraj & Ors vs State Of Maharashtra*. Similarly, the issue of similar brand names for different drugs was flagged by the Court in 2001 in *Cadila Healthcare Limited vs Cadila Pharmaceuticals Limited*.

When the PSC raised these very issues in its 59th report, it created significant pressure on the Ministry of Health because it demanded follow-up action. The PSC even published a scathing "Action Taken Report" the following year indicating its unhappiness with the lack of effective reform by the Ministry of Health. Unfortunately, these issues raised by the PSC over a decade ago are yet to be tackled effectively and have been stuck in a loop at the Ministry of Health, since the bureaucracy is either unable or unwilling to tackle these issues.

The policy initiatives of recall guidelines, good distribution practices and the use of similar brand-names either lack the force of law or are poorly thought through

Non-binding guidelines in a loop

For example, the most recent drug recall guidelines announced in August by the DCGI were in fact first announced in the year 2012 after the PSC report was tabled and then again in 2017. In all three instances, the initiative for drug recall guidelines came from the office of the DCGI, except that the DCGI lacks the legal power to make rules that are binding and have the force of law. Only the Ministry of Health has that power under the Constitution. As a result, 48 years after the lack of recall guidelines was first identified at the DCC, India continues to have these guidelines which cannot be legally enforced and the breach of which have no legal consequences. It is no wonder then that we never hear of action removing 'not of standard quality drugs' from the market.

The story with the guidelines to regulate the storage of drugs during transit and sale is even more depressing. After the PSC report, a proposal to adopt good distribution practices guidelines formulated by the World Health Organization (WHO) came up for discussion at the meeting of the DCC in 2013. The proposal at that time was to make good distribution practices guidelines legally binding. However, this proposal was opposed within the DCC because it was felt that it would be too "difficult to implement" across the estimated six lakh retail outlets in the country – the DCC likely anticipated pushback from trade associations of pharmacies since the good distribution practices guidelines would require investments in storage equipment. This reluctance to make good distribution practices guidelines mandatory was a dereliction of duty toward public health because India is a hot and humid country. In many parts of India, especially during summer, drugs are guaranteed to degrade without proper temperature and humidity controls. In 2019, the GDP guidelines were back on the DCC's agenda after a raid at the wholesale market for medicine at Bhagirath Palace, New Delhi revealed shockingly poor storage practices for drugs, including vaccines. This time though, the DCC resolved to make good distribution practices guidelines into binding law. The matter came up again at a meeting of the DCC earlier this year where the government has admitted that the lack of the binding nature of the GDP guidelines was a problem. However, instead of proceeding to declare the guidelines as binding law, the government has once again decided to conduct another round of consultation with stakeholders, thereby further delaying the implementation of WHO standards.

The story with confusing brand names follows a similar trajectory. Despite being flagged by the top court in 2001 and the Parliamentary Standing Committee in 2012, the government did nothing to fix the problem. After receiving a rap on its knuckles from the Delhi High Court in 2019, the government introduced an entirely useless legal rule to address this issue. Instead of creating an obligation upon the regulator to vet the brand names before a drug could be marketed, the Ministry created a rule requiring pharmaceutical companies to provide a self-declaration that their proposed brand name was not similar to any of the existing brand names in the market. In most other countries, it is the duty of the regulator to vet the brand name, to ensure that it is not confusing or misleading from a public health perspective. It makes no sense to ask the pharmaceutical industry to self-regulate on this issue as evidenced by the large number of confusing pharma brand names in India even after these rules came into force. Earlier this year, after we wrote about the issue in this daily, the National Human Rights Commission (NHRC) intervened and issued notice to the Ministry of Health. In response, the Directorate General of Health Services (DGHS) wrote a letter to the Registrar of Trademarks asking to ensure that confusing trademarks were not registered. The DGHS completely misses the point that trademark registration is voluntary. Many companies do not seek to register their brand names as a trademark. Even when trademark applications are filed, the Registrar of Trade Marks conducts a perfunctory "confusion analysis" that does not include a public health perspective. Brand names should ideally be scrutinised by the regulator for being misleading and fanciful from a health perspective.

Breaking the loop

The three reform measures discussed here are reflective of a consistent leadership failure in the higher echelons of the Ministry of Health. Matters pertaining to drug regulation are meant to be guided by a joint secretary heading the Drug Regulation Section in the Ministry. This officer, who usually hails from the All India Services, holds the post for a few years before moving on to the next posting. She has little domain expertise in this area and lacks the institutional knowledge that policymaking requires. We suspect that with every newly appointed joint secretary, these files go through with repeated consultations with stakeholders in the pharmaceutical industry. In each of these consultations, the trade associations of pharmacies and pharmaceutical companies use every trick in the book to stall the necessary action and the bureaucracy uses a familiar playbook of repeat consultations to stall concrete action. We doubt that the loop will be broken without the direct intervention of the Prime Minister's Office.

Over 70% child deaths in India are linked to malnutrition

Death rates from malnutrition are much higher in low-income countries, where children often don't get the diversity of nutrients

DATA POINT

Hannah Ritchie
The Hindu Data Team

In 2021, in India, 0.7 million children under the age of five died. Of these, 0.5 million of the deaths were attributed to child and maternal malnutrition. That means, over 70% of them were linked to nutritional deficiencies. In the same year, the world over, 4.7 million children under the age of five died; 2.4 million of those were attributed to child and maternal malnutrition. That means around 50% of child deaths – about 20% points less than India's figures – were linked to nutritional deficiencies.

In most cases, children don't die of malnutrition. They die from conditions that are exacerbated or are triggered by it. In most cases, it is a risk factor for premature death. In **Chart 1**, we can see how many child deaths are attributed to different nutritional risk factors in India.

By far, the biggest is low birth weight, which often happens because the mother is malnourished or has experienced infectious diseases during pregnancy. After the first few weeks or months of life, children are also more vulnerable to infection and disease when they are underweight or are malnourished and don't develop at a healthy rate. Hundreds of thousands die as a result of 'wasting', which means their weight is too low for their height, or 'stunting', which means they are too short for their age.

Death rates from malnutrition are much higher in low-income countries, where children often don't get the diversity of nutrients they need and where infectious diseases are much more common In **Chart 2,** malnutrition deaths are plotted on the vertical axis and gross domestic product (GDP) per person on the horizontal axis. In rich countries – on the right of the chart – rates are 20 to 50 times lower than in the poorest countries, on the left. Most malnutrition deaths occur in Sub-Saharan Africa and South Asia. BRICS countries are highlighted in the chart.

Thankfully, fewer children are dying from malnutrition than a few decades ago. **Chart 3** shows the Institute for Health Metrics and Evaluation's estimates of the number of child deaths related to malnutrition since 1990 in India.

The world over, around 6.6 million deaths were linked to these risks in 1990. By 2021, this had fallen to around 2.4 million – a 63% drop. Improvements in nutrition have driven some of this decline. In India, the corresponding drop was from 2.4 million to 0.5 million – a 80% drop.

Progress in tackling infectious diseases has also been crucial. Disease and malnutrition have a bidirectional relationship. This means that if diseases are less common, the health risks from being malnourished are also lower. In the last few decades, deaths from diarrhoeal diseases have plummeted thanks to clean water, improvements in sanitation, handwashing, and better and more widespread treatments. Antimalarials and bednets have reduced malaria death rates. Most children are vaccinated against tuberculosis, and a growing number are against rotavirus.

Support for mothers and babies during pregnancy and after birth has also improved. More births are attended by skilled health workers, which means that when babies are born with very low birth weights, professional medical workers are there to help and advise.

Tackling the diseases and health conditions that affect malnourished children is another way of reducing the poor health outcomes of malnutrition. But of course, improving the nutrition of children and mothers is crucial.

Hannah Ritchie is the deputy editor and Science outreach lead at Our World in Data

Deaths from hunger

Charts were sourced from an article published in Our World in Data titled "Half of all child deaths are linked to malnutrition"

Chart 1: Number of child deaths in India attributed to various nutritional risk factors

Chart 3: Number of child deaths in India attributed to various nutritional risk factors over time (in million)

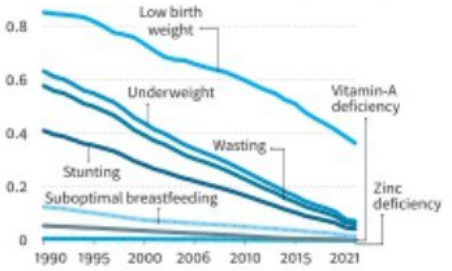

Chart 2: The chart plots country-wise malnutrition death rates (per 100,000 people) against the GDP per capita